

निरानी भाग सरकारी मान् राजस्व महोपय राजस्व माला रवानिर संग्रह बॉट राज

प्रिंहा रेवा मुद्रा

510

R 5300-II/6
निरानी प्रकरण क्रमांक 2016

* 30/-

संताण दुधार शोनो ऐहा इच्छेन सानी बाड़ क्रमांक 13 सौनारनदाळा
व्याहार, तहसील व्याहार, जिला शहडोल मुद्रा --- निरानी वहा

बताम

दुनी दुधार मिनीफिला स्कॉरी रामकल मित्रा बाड़ क्रमांक 12 व्याहार
थाना व तहसील व्याहार, जिला शहडोल मुद्रा --- गर्निराकारा

2- शासन मुद्रा

निरानी अक्षरूत धारा 50 मुद्रा गुराजस्व

संहिताः 1959 श

दिरक्कु आदेश ब्रैमान राजस्व निरीदाक महोदय
व्याहारी, जिला शहडोल के राजस्व १२ अक्टूबर १५-१६
में पा रिह आदेश दिनाक १०-१-१६।



मान्यवर

आवैदक निराकार का विमुक्तिवदन निम्न है:-

- 1- वह कि खेती वा कस्य व्यावाहय द्वारा पारित था व विवेद
एवम प्रशिदा के विवर होने के कारण कावैद निरस्ति के है।
- 2- य ने निरानीका इच्छ उत्तराने का तुम्हा व्याहारी
हला व्याहारी का धारा १००/ १/ १ के राजस्व १४२ शे १०/ १

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक —निग.-5300-दो/2016

जिला- शहडोल

संतोष कुमार सोनी विरुद्ध सुनील कुमार मिश्रा व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री संजय तिवारी उपस्थित ।</p> <p>3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक व्योहारी, जिला- शहडोल के प्रकरण क्रमांक 12/अ-12/2015-16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 10-01-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी ।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p>	<p>(आर.के.जना) 22/01/19 सदृश्य</p>